



प्रेस नोट
थाना बड़ौत

दिनाँक 11.03.2025

थाना बड़ौत में दाखिल मुकदमाती के कुल 45 वाहनों की नीलामी (कीमत 2 लाख 25 हजार रुपये) के सम्बन्ध में-

कार्यवाही-

दिनाँक 11.03.2025 को मा0 न्यायालय बागपत के आदेशानुसार थाना बड़ौत पर मुकदमाती वाहनों की नीलामी नयाब तहसीलदार बड़ौत व निरीक्षक अपराध थाना बड़ौत की उपस्थिति में की गई। उक्त नीलामी में जनपद बागपत व आस पास के जनपदों के कुल 36 कबाडियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 43 दो पहिया व 02 चार पहिया वाहनों कुल 45 वाहनों की नीलामी (कीमत 2 लाख 25 हजार रुपये) की गई।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 11.03.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 140/25 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्ता सहित एक अन्य अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक

09.03.2025

को थाना बडौत पर वादी श्री राजेश्वर कुमार पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम जौनमाना थाना



बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1. शक्ति पुत्र पुष्पेन्द्र, 2.पुष्पेन्द्र पुत्र किसना, 3.सुमित पुत्र मन्नू निवासीगण ग्राम जौनमाना थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा उसके पुत्र बलराम को अपने घर बुलाकर उसकी हत्या कर दी है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 140/25 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

नोट- उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार धारा 3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्तों 1.मन्नू पुत्र किसना, 2-01 महिला व 3-विनीत पुत्र मन्नू निवासीगण ग्राम जौनमाना थाना बडौत जनपद बागपत का नाम प्रकाश में आया । दिनांक 10.03.2025 को अभियुक्तों 1.पुष्पेन्द्र पुत्र किसना व 2. विनीत पुत्र मन्नू निवासीगण ग्राम जौनमाना थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 140/25 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्ता सहित एक अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-मन्नू पुत्र किसना निवासी ग्राम जौनमाना थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-एक महिला।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चहल थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री अनूप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4-म0उ0नि0 नीतू सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
- 5-है0का0 629 भारत सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
- 6-का0 525 महेशचन्द थाना बडौत जनपद बागपत।
- 7-म0का0 888 रूबी थाना बडौत जनपद बागपत।



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में एनडीपीएस एक्ट के आरोपी जाहिद को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 02 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2016 में अभियुक्त जाहिद पुत्र रशीद निवासी ग्राम हिलवाडी थाना बडौत जनपद बागपत हाल पता मोहल्ला पठानकोट कस्बा व थाना बडौत द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 292/2016 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 11.03.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी-2 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त जाहिद को दोषी पाते हुए 02 वर्ष 06 माह के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police



श्री दिनेश कुमार शर्मा
एडीजीसी जनपद बागपत



मुख्य आरक्षी राजकुमार कोट
पैरोकार थाना बडौत



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक-11.03.2025

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 317/2024 धारा 131/303(2)/191(2)/190/351(2)/109 बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.11.2024 को थाना दोघट पर वादी संदीप पुत्र जगपाल निवासी ग्राम झुण्डपुर थाना दोघट जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.जिन्दा पुत्र असलम, 2.दाऊद पुत्र जिन्दा, 3.शारुख उर्फ काला पुत्र रियात,



4.रियात पुत्र असलम, 5.फारुख पुत्र रियात, 6.खुशहाल पुत्र वकील, 7.तोसीब पुत्र शदीक, 8.नसीब पुत्र कलवा, 9.निन्ना पुत्र अनीस समस्त निवासीगण पट्टी बंजारन ग्राम तमेलागढी थाना दोघट जनपद बागपत, 10.राजा पुत्र ताहिर निवासी ग्राम झुण्डपुर थाना दोघट जनपद बागपत व 6-7 अज्ञात व्यक्तियों में से किन्ही 02 व्यक्तियों द्वारा वादी के भाई लक्की का मोबाइल चोरी कर लिया है तथा उपरोक्त अभियुक्तों ने वादी व वादी के परिजनों पर एक राय होकर धारदार हथियारों से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया, जिससे वादी व वादी के परिजन गम्भीर रूप से घायल हो गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 317/2024 धारा 131/303(2)/191(2)/191(3)/190/351(2)/109 बीएनएस 2023 पंजीकृत किया गया ।

नोट- उक्त अभियोग में थाना दोघट पुलिस द्वारा पूर्व में अभियुक्तों 1-खुशहाल पुत्र वकील, 2-दाउद पुत्र जिंदा, 3-फारूख पुत्र रियात, 4-जिन्दा पुत्र असलम, 5-रियात पुत्र असलम निवासीगण पट्टी बंजारन ग्राम तमेलगढी थाना दोघट जनपद बागपत को गिरफ्तार किया जा चुका है ।

कार्यवाही-


बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 317/2024 धारा 131/303(2)/191(2)/190/351(2)/109 बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

तोसिब पुत्र शद्दीक निवासी पट्टी बंजारन ग्राम तमेलगढी थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रजत ढाका थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 464 सुधीर कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 11.03.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 83/25 धारा 191(2)/191(3)/131/ 109(1)/351(2)/352 बीएनएस से सम्बन्धित 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 सरिया व 02 डण्डे बरामद ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 10.03.2025 को थाना सिंघावली अहीर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि दो पक्षों के अभियुक्त

1. आमिर पुत्र यामीन,
2. आरिश पुत्र तासीन,
3. आबिद पुत्र साबिर, 4.



आशू पुत्र सुन्दरपाल, 5. विशाल पुत्र धर्मपाल निवासी गण ग्राम हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत एवं 8-10 अज्ञात व्यक्ति आपसी रंजिश को लेकर लाठी डण्डों व धारदार हथियारों से लैस होकर एक-दूसरे के साथ जान से मारने की नीयत से मारपीट कर रहे हैं तथा गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सूचना पर तत्काल थाना सिंघावली अहीर पुलिस मौके पर पहुंची तथा पुलिस व ग्राम के व्यक्तियों द्वारा अभियुक्तों को समझाने का प्रयास किया गया लेकिन नहीं माने। इस सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 83/25 धारा 191(2)/191(3)/131/351(2)/109(1)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाही

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा

मु0अ0सं0 83/25 धारा 191(2)/191(3)/131/351(2)/109(1)/352 बीएनएस से सम्बन्धित 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 सरिया व 02 डण्डे बरामद हुए हैं एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-आमिर पुत्र यामीन निवासी हिसावदा थाना सिंघावली अहीर बागपत ।
- 2-आरिश पुत्र तासीन निवासी हिसावदा थाना सिंघावली अहीर बागपत ।
- 3-आबिद पुत्र साबिर निवासी हिसावदा थाना सिंघावली अहीर बागपत ।
- 4-आशू पुत्र सुन्दरपाल निवासी हिसावदा थाना सिंघावली अहीर बागपत ।
- 5-विशाल पुत्र धर्मपाल निवासी हिसावदा थाना सिंघावली अहीर बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 01 सरिया व 02 डण्डे ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सोनू कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 456 मनोज शर्मा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 210 दानवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक-11.03.2025

थाना रमाला पुलिस ने 05 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों

का नाम व पता-

- 1-वहीद पुत्र स्व0 जिन्दी निवासी ग्राम बासौली थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-सचिन पुत्र स्व0 नेमप्रकाश निवासी ग्राम बासौली थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-राहुल पुत्र स्व0 नेमप्रकाश निवासी ग्राम बासौली थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4-अंकित पुत्र नरेन्द्र निवासी ग्राम बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 5-सोनू उर्फ सुभाष पुत्र राजसिंह निवासी ग्राम ककडीपुर थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री पुष्पराज विश्वोई थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री केदार सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-का० 907 धर्मेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4-का० 583 उमेश कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 5-का० 913 शंकरलाल थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 6-का० 88 विनित कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 7-पीआरडी रवितेश थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक- 11.03.2025

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 41/25 धारा 87/137(2)/61(2)/115(2)/64/351(3) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट में प्रकाश में आये एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 41/25 धारा 87/137(2)/61(2)/115(2)/64/351(3) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट में प्रकाश में आये एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



नोट- उक्त अभियोग से सम्बन्धित दोनों अपहर्ताओं को थाना रमाला पुलिस द्वारा बरामद किया जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सन्दीप पुत्र सतेन्द्र निवासी ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-उ०नि० श्री श्याम सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-है०का० 251 अजय कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-का० 19 सोनित कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।

